स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय

बीकानेर

कमाकः एफ 4(1–आर)( )/एसकेराकृवि/सी/2021/ 1055 दिनांकः 03.12.2021

आदेश

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) को इस विश्वविद्यालय मे लागू किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक दिनांक 20.11.2021 की अभिशंसा एवम माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय कार्मिकों को बेहतर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश संबंधित् समस्त परिपत्र, मेमोरेण्डम एवम आदेश जो राज्य सरकार के वित्त विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है ,को इस विश्वविधालय के लिए तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते है तथा इस सम्बन्ध में उक्तानुसार भविष्य में जारी होने वाले दिशा निर्देश भी तदनुसार स्वतः विश्वविद्यालय मे प्रभावी माने जायेगें।

उक्त योजना (RGHS) की कियान्विति के सम्बन्ध में कार्यालय परियोजना निदेशक राज्य बीमा एवम प्रावधायी निधि विभाग (RGHS) के पत्रांक एफ 1(339)/RGHS/एसकेराकृवि/21–22/1367 दिनांक 09.11.2021 द्वारा स्वायतशासी संस्थाओ में RGHS लागू करने के संबंध में दिशा निर्देश दिये हैं (छाया प्रति संलग्न) तदनुसार इस विश्वविधालय में RGHS लागू करने की आगामी आवश्यक कार्यवाही की जानी हैं ।

अतः इस विश्वविधालय के समस्त कार्यालयध्यक्षो/आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सूचित कर निर्देशित किया जाता हैं कि वे अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी कार्मिकों से RGHS लागू करने संबंधित सहमति पत्र प्राप्त कर प्रभारी अधिकारी सिमका (नोडल अधिकारी) के माध्यम से RGHS में पंजीयन हेतु वांछित कार्यवाही करावें तथा राज्य सरकार वित (बीमा) विभाग के आदेश दिनांक 7.7.2021 के अनुसार विश्वविधालय कार्मिकों के वेतन से प्रतिमाह अंशदान कटौती करें व निर्धारित प्रीमियम राशि रूपये 6100/– प्रति कार्मिक प्रति वर्ष फैमिली पलोटर बेसिस पर (एक मुश्त) राज्य सरकार के बजट मद 8342–00–120–(69) में जमा करावें ।

RGHS लागू करने के संबंध में राज्य सरकार/राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (RGHS) में दिशा निर्देशानुसार विश्वविधालय में RGHS को प्राथमिकतापूर्वक लागू करने की कियान्विति सुनिश्चित करावें ।

वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे.निदेशक/प्रभारी अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी........ CIMCA
2. कुलसचिव,एसकेराकृवि,बीकानेर
3. निजी सचिव कुलपति,एसकेराकृवि
4. कोषाधिकारी,एसकेराकृवि,बीकानेर
5. नोडल अधिकारी,सीमका,एसकेराकृवि
6. अनुभाग अधिकारी,मिटिग शाखा को भेजकर लेख है कि आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक मे पुष्टि हेतु रखे।
7. रक्षित पत्रावली
8. वि.वि. की वेबसाइट पर देने हेतु

वित्त नियंत्रक

राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना, निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

(आरजीएचएस)

वित्त–भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योतिनगर, जयपुर

फोनः–2740219, 2740252, 2740292(फैक्स) email: pd.rghs@rajasthan.gov.in

website: www.rghs.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– एफ.1(339) RGHS / एसकेराकृषि / 21–22 / 1367 दिनांकः– 09/11/2021

वित्त नियंत्रक
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, श्रीगंगानगर रोड़, बीछवाल, बीकानेर–334006।

विषयः– राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के संबंध में।
संदर्भः– आपका पत्रांक 680 दिनांक 25.10.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है स्वायत्तशासी संस्थाओं में दिनांक 01.01.2004 से पहले नियुक्त कार्मिकों और सेवानिवृत कार्मिकों को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत सीजीएचएस की तर्ज पर कैशलेस इनडोर, डे–केयर चिकित्सा एवं आउटडोर की सुविधा प्रदान की जावेगी। उक्त योजना के अन्तर्गत 5.00 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार चिकित्सा एवं गंभीर बीमारियों के ईलाज के पेटें अतिरिक्त 5.00 लाख का लाभ दिया जावेगा। उक्त योजना में स्वायत्तशासी संस्थाओं के दिनांक 01.01.2004 से पहले नियुक्त कार्मिकों और सेवानिवृत कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा राजस्थान सिविल सेवा नियम–2013 के अनुसार देय नहीं है।

राजस्थान सरकार वित्त (बीमा) विभाग के पत्र क्रमांक प.5(5)वित्त / बीमा / 2020 पार्ट–II दिनांक 07.07.2021 के क्रम में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु सेवारत कार्मिकों के लिए प्रीमियम राशि रूपये 6100 /– प्रति कार्मिक (एक मुश्त) प्रति वर्ष फैमिली फ्लोटर बेसिस पर निर्धारित की गयी है, सेवानिवृत्त कार्मिको के लिए एकमुश्त राशि रूपये 61000 /– जमा कराने के पश्चात् योजना का लाभ जीवनपर्यन्त मिलता रहेगा। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रीमियम राशि का निर्धारण राजस्थान सरकार वित्त (बीमा) विभाग के स्तर से किया गया है, जिसके अन्तर्गत उक्त प्रीमियम राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

अतः विश्वविद्यालय RGHS हेतु सहमती उपरान्त बजट मद 8342–00–120–(69) में उक्त प्रीमियम राशि जमा करवाने का श्रम करें। ई–ग्रास चालान के माध्यम से प्रीमियम जमा कराने के पश्चात् ई–ग्रास चालान की प्रति एवं कार्मिकों का विवरण निम्नांकित प्रारूप एक्सेल शीट (सोफ्ट कॉपी एवं हार्ड कापी) में इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें।

S.N.	SSO ID*	NAME*	RGHS CARD NO.*	UNIQUE ID	PPO	D.O.B.*	D.O.J.*	D.O.R.*	DESIGNATION	BASIC PAY*	SERVICE STATUS (SERVING/PENSIONER)*	MOB.*

भवदीय

(सुरेश कुमार मीना)
संयुक्त परियोजना निदेशक (RGHS)
वित्त भवन, जयपुर